प्रेषक,

संयुक्त शिक्षा निदेशक,
अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ

सेवा में

प्रबन्धक,
सेठ एम0आर0 जयपुरिया स्कूल
एटा

पत्रांकःसी0बी0एस0ई0 / 7976-82 /2025-26 दिनांकः 28/02/2026

विषयः विद्यालय के नाम परिवर्तन के सम्बंध में।

महोदय

उपरोक्त विषयक प्रबन्ध समिति / बोर्ड आफ् ट्रस्टी, श्री जगदीश जन कल्याण ऐजूकेशन ट्रस्ट शिकोहाबाद फिरोजाबाद की बैठक दिनांक 20.12.2025 में किये गये प्रस्ताव के आधार पर मण्डलीय समिति के पत्रांक / माध्यमिक शिक्षा(NOC)अनुभाग / 185-91 / 2020-21 दिनांक 06.06.2020 के द्वारा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र में निर्धारित शर्तो के अधीन मण्डलीय समिति के अध्यक्ष द्वारा दिनांक 28.02.2026 में प्रदान की गयी सहमति के अनुसार आदेश निर्गमन की तिथि से दिल्ली पब्लिक स्कूल शिकोहाबाद रोड़ एटा का नाम परिवर्तन कर सेठ एम0आर0 जयपुरिया स्कूल एटा किये जाने की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि प्रश्नगत प्रकरण पर विद्यालय प्रबन्ध समिति को स्थान परिवर्तन तथा अन्य कोई परिवर्तन करने का अधिकार नहीं होगा तथा विद्यालय के पुराने नाम का उपयोग भविष्य में कहीं भी नहीं किया जाएगा। प्रश्नगत प्रकरण पर यदि कोई तथ्य त्रुटिपूर्ण / असत्य / कूटरचित पाया जाता है तो उक्त अनुमति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

भवदीय

(मनोज कुमार गिरि)
संयुक्त शिक्षा निदेशक
अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़

पृ0सं0 / सी0बी0एस0ई0 / —————— / 2025-26 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. संयुक्त सचिव, शिक्षा अनुभाग-7, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. आयुक्त, अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़।
3. सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, शिक्षा केन्द्र-2 समुदाय केन्द्र प्रीति बिहार नई दिल्ली।
4. शिक्षा निदेशक(मा0), उ0प्र0 लखनऊ।
5. जिलाधिकारी एटा।
6. जिला विद्यालय निरीक्षक, एटा।

संयुक्त शिक्षा निदेशक
अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़